

बिहार सरकार  
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-1/छात्रावास(संघा.)-31-01/2010-

(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

90

प्रेषक,  
वीरेन्द्र कुमार, भा० प्र० से०  
निदेशक।

सेवा में,  
जिला कल्याण पदाधिकारी  
वैशाली/पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)/मुजफ्फरपुर/मधेपुरा/सिवान।

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन मद में अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए कुल ₹26,33,000/- (छब्बीस लाख तैतीस हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

पटना, दिनांक 20.11.17

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन, भत्ते एवं अन्य मदों में अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए ₹6,08,63,110/- एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के लिए ₹61,26,120/- अर्थात् कुल ₹6,69,89,230/- (छः करोड़ उनसठ लाख नवासी हजार दो सौ तीस रुपये) मात्र का पूरे वर्ष के लिए विभागीय पत्रांक-07 दिनांक-19.05.17 द्वारा की गई है। इसी क्रम में विभागीय पत्रांक-20 दिनांक-07.06.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, खगडिया एवं भागलपुर को कुल ₹11,73,449/- (ग्यारह लाख तिहत्तर चार सौ उन्नधारा रुपये), पत्रांक-46 दिनांक-18.07.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर/कैमूर/दरभंगा को कुल ₹14,78,968/- (चौदह लाख अठहत्तर हजार नौ सौ अडसठ रुपये), पत्रांक-61 दिनांक-20.09.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/सहरसा/नालन्दा को ₹46,67,080/- (छियालीस लाख सडसठ हजार अस्सी रुपये) एवं पत्रांक-72 दिनांक-17.10.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी अररिया/बक्सर/कटिहार/छपरा(सारण)/मुंगेर को ₹47,13,000/- (सैतालीस लाख तेरह हजार रुपये) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की गयी है। इसी क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-2213 दिनांक-25.10.17, जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी) के पत्रांक-465 दिनांक-18.10.17, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-751 दिनांक-09.09.17, जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-1074 दिनांक-09.11.17 एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-1331 दिनांक-03.11.17 द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग के आलोक में कुल ₹26,33,000/- (छब्बीस लाख तैतीस हजार रुपये) निम्न प्रकार से राशि आवंटित की जाती है:-

क्र०	कार्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कार्यालय व्यय	संविदा सेवाएँ	कुल अतिरिक्त आवंटित राशि
1	जिला कल्याण कार्या०, वैशाली	₹101000/-	₹120000/-	₹7000/-	₹2500/-	0	0	₹230500/-
2	जिला कल्याण कार्या०, पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)	0	0	0	0	0	₹60000/-	₹60000/-
3	जिला कल्याण कार्या०, मुजफ्फरपुर	₹514000/-	₹532000/-	₹10000/-	₹2000/-	0	0	₹1058000/-
4	जिला कल्याण कार्या०, सिवान	₹513000/-	₹509500/-	₹10000/-	₹2000/-	₹50000/-	0	₹1084500/-
5	जिला कल्याण कार्या०, मधेपुरा	₹59000/-	₹69000/-	₹1000/-	₹1000/-	0	₹70000/-	₹200000/-
	कुल	₹11,87,000/-	₹12,30,500/-	₹28000/-	₹7500/-	₹50000/-	₹130000/-	₹26,33,000/-

(छब्बीस लाख तैतीस हजार रुपये)

2- कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में आय-व्यय मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0002-छात्रावासों का संधारण-विषय शीर्ष-0002.01.01-वेतन, 0002.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0002.01.04-मकान किराया भत्ता, 0002.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0002.13.01-कार्यालय व्यय, 0002.28.02-संविदा सेवाएँ-मांग सं०-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770002 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गयी राशि की व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे तथा उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17-4-98 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार पटना को दी जा रही है।

6- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक  
11/11/17

ज्ञापांक - 1/छात्रावास(संधा.)-31-01/2010- 90

पटना, दिनांक- 20.11.17

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)/मुजफ्फरपुर/मधेपुरा/सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त,/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/अवर सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा-3 डी0 एवं सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक -1/छात्रावास(संधा.)-31-01/2010- 90

पटना, दिनांक- 20.11.17

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 प्रबंधक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

10/11/17

(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक  
11/11/17